

कार्यालय - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

पत्रांक- 693-85

/2019-20

दिनांक- 14-08-2019

सेवा में,

प्रबन्धक,

धन्नजय पब्लिक स्कूल जगदीशपुर, अतरौलिया,
आजमगढ़।

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन दिनांक 05.08.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा धन्नजय पब्लिक स्कूल जगदीशपुर अतरौलिया आजमगढ़ के स्थायी मान्यता के प्रमाण-पत्र की मांग की गयी है। तत्सम्बन्धि अवगत कराना है कि आपके विद्यालय में तीन वर्ष तक शासनादेश के अनुरूप कोई अनियमितता नहीं पाई गयी है। जिसके कारण स्कूल की मान्यता स्थायी मान ली गई है। इस प्रकार विद्यालय को आवंटित कोड संख्या (वर्ष-2014/09) को भी स्थायी मान लिया गया है।

भवदीय

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़।

पृ0सं0 /

/2019-20 / तत्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
2. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

PRINCIPAL
Dhananjay Public School
Jagdishpur Atraulia, Azamgarh